रिफिल बुकिंग का अलग प्रावधान नहीं

शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद अगली रिफिल बुक कराई जा सकेगी : जोशी

नई दिल्ली, 25 मार्च. सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर रिफिल बुकिंग का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया में आयी उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि शहरी क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन बाद ही अगला एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकेंगे जबकि आम ग्राहकों के लिए यह सीमा 25 दिन की है. मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वर्तमान में एलपीजी रिफिल बुकिंग की सिर्फ दो समय सीमा है

– शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद अगली रिफिल बुक करायी जा सकेगी. इसके अलावा किसी भी लाभार्थी के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है. सरकार ने लोगों से भ्रामक जानकारियों से बचने और घबराहट में आकर जल्दबाजी में बुकिंग न कराने की अपील की है. स्पष्टीकरण में कहा गया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और चिंता का कोई कारण नहीं है. उल्लेखनीय है कि फरवरी तक ग्राहक सिलेंडर 21 दिन के अंतर पर अगला रिफिल बुक करा सकते थे लेकिन पश्चिम एशिया संकट के बीच आपूर्ति में आयी बाधा को देखते हुए सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का समयांतराल निर्धारित किया है.

पात्र व्यक्ति को दिया जा रहा है मुफ्त राशन

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को लोक सभा में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत राशन पाने से वंचित नहीं किया जा रहा है. श्री जोशी ने प्रश्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड प्रमाणीकरण एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी न होने पर भी राशन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान से बिना राशन वापस नहीं किया जा रहा है. उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राशन दुकानों का आवंटन एवं राशन दुकानदारों का कमीशन राज्य सरकारें तय करती हैं.

एम3एम ने गुरुग्राम में अंताल्या हिल्स में शुरू किया कब्जा

नई दिल्ली, 25 मार्च. अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर एम3एम ने हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 79 स्थित अपनी प्रीमियम लो-राइज आवासीय परियोजना एम3एम अंताल्या हिल्स में कब्जे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कंपनी ने बताया कि इस परियोजना को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है. अरावली पर्वतमाला की तलहटी में 33 एकड़ में फैली इस परियोजना में 2,540 लो-राइज़ मकान हैं, जो 35.1 लाख वर्ग फुट में फैले हुए हैं. प्रत्येक टावर में केवल चार अपार्टमेंट हैं, जो बेहतर गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं. इस परियोजना में वर्तमान टिकट राशि लगभग 1.8 करोड़ रुपये और उससे अधिक है. परियोजना की अनुमानित विकास लागत लगभग 1,520 करोड़ रुपये है.

को-ऑपरेटिव डिविडेंड पर 3 साल की टैक्स छूट

वित्त मंत्री का ऐलान, को-ऑपरेटिव को मिलेगा लाभ

छोटे निवेशकों को राहत, डिविडेंड पर टैक्स नहीं

नई दिल्ली, 25 मार्च. केंद्र सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट देने की घोषणा की है.

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस फैसले का उद्देश्य छोटे निवेशकों और को-ऑपरेटिव सदस्यों को प्रोत्साहित करना है, ताकि अधिक लोग इस क्षेत्र से जुड़ सकें. सरकार का मानना है कि को-ऑपरेटिव, एमएसएमई और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इनकी मजबूती से रोजगार सृजन और ग्रामीण

विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस कदम से खासकर उन सदस्यों को फायदा होगा, जिनकी हिस्सेदारी कम है और जो डिविडेंड आय पर निर्भर रहते हैं.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले ले रही है, जिससे आर्थिक लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे. केंद्र सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट देने का ऐलान किया है.

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की, जिससे देशभर के छोटे को-ऑपरेटिव सदस्यों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री ने बताया कि यह टैक्स छूट विशेष रूप से नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से प्राप्त डिविडेंड आय पर लागू होगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य को-ऑपरेटिव संस्थाओं में कम हिस्सेदारी रखने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें. उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और किसान देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कोटक बैंक घोटाले की जांच एसीबी को सौंपने के आदेश

पंचकूला 25 मार्च.हरियाणा के सरकारी विभागों में 590 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है.

राज्य सरकार ने इस मामले की जांच भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) को सौंपते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं.नगर निगम अधिकारियों को घोटाले की जानकारी मिलते ही बैंक और हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया गया. इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने भी सक्रियता दिखाते हुए पंचकूला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को शिकायत सौंपी. मामले की जांच डीसीपी कार्यालय द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को दी गई थी लेकिन अब सरकार ने इसे एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है. जानकारी के अनुसार, पंचकूला नगर निगम का सेक्टर-11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में खाता था, जिसमें नगर निगम की 16 एफडी जमा थीं. ये एफडी एसबीआई बैंक से ट्रांसफर की गई थीं. जांच में सामने आया है कि इनमें से पांच एफडी का बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया. मामले में बैंक की पूर्व कर्मचारी स्वाति और पुष्पिंद्र के नाम सामने आ रहे हैं.

गोल्ड-सिल्वर में जबरदस्त तेजी, नए रिकॉर्ड कायम

1.44 लाख रुपए पर पहुंचा सोना

2.34 लाख रुपए पर आई चांदी

नई दिल्ली, 25 मार्च. देश में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिला है, जिससे निवेशकों और आम खरीदारों दोनों का ध्यान इस ओर गया है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम पर 5 हजार रुपये बढ़कर 1.45 लाख रुपये तक पहुंच गई है. वहीं, चांदी भी 9 हजार रुपये की छलांग लगाकर 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.इस साल की शुरुआत से ही सोना और चांदी लगातार तेजी दिखा रहे हैं. बीते कुछ महीनों में सोने के दाम करीब 11 हजार रुपये और चांदी के दाम 3 हजार रुपये तक बढ़ चुके हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में कीमतों में उतार-चढ़ाव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने में निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है.

देश में सोना और चांदी की कीमतों में बुधवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई, जिससे दोनों की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 5,000 रुपये की बढ़त के साथ 1.45 लाख रुपये पर पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत 9,000 रुपये उछलकर 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है.

नौ राज्यों को एफएमडी मुक्त घोषित कर डेयरी निर्यात बढ़ाने की योजना

नई दिल्ली, 25 मार्च. देश के नौ राज्य खुरपका-मुंहपका रोग से मुक्त हो चुके हैं और उन्हें इसका प्रमाणन दिलाकर देश का डेयरी निर्यात बढ़ाने की सरकार की योजना है. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है.

इसके बावजूद डेयरी उत्पादों के निर्यात में हम पीछे हैं क्योंकि कई देशों में डेयरी निर्यात के लिए एफएमडी मुक्त प्रमाणन जरूरी है. श्री सिंह ने कहा कि साल 2014-15 में हमारा दुग्ध उत्पादन 14.63 करोड़ टन से बढ़कर 24.8 करोड़ टन हो गया है.

टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में दो ट्रांसमिशन लाइनें कमीशन की

नई दिल्ली, 25 मार्च. टाटा पावर ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 154 सर्किट किलोमीटर में फैली दो ट्रांसमिशन लाइनों - 400 किलोवोल्ट टांडा-गोंडा और 400 किलोवोल्ट (केवी) गोंडाङ्कबस्ती डबल सर्किट - की कमीशनिंग की घोषणा की.

कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इसके साथ ही उसने साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत सभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों का सफलतापूर्वक कमीशनिंग कर लिया है. इस नेटवर्क में अब राज्य भर में 951 सर्किट किमी की तीन 765 केवी लाइनें, 566 सर्किट किमी की चौदह 400 केवी लाइनें और 3,460 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता वाले तीन 765/400 केवी सबस्टेशन हैं.

टाटा पावर ने बताया कि चार ट्रांसमिशन लाइनों 765 केवी मैनपुरी-बारा सिंगल सर्किट लाइन, 765 केवी मैनपुरी-उन्नाव सिंगल सर्किट लाइन, 400 केवी टांडा-गोंडा और 400 केवी गोंडा-बस्ती डबल सर्किट लाइन की कमीशनिंग से उत्तर प्रदेश में उत्पन्न 4,000 मेगावाट से अधिक तापीय बिजली के सुरक्षित और विश्वसनीय निष्कासन में सहायता मिलेगी. इससे राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने, ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

अकासा ने साढ़े तीन साल में 2.5 करोड़ यात्रियों का बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 25 मार्च. नवोदित विमान सेवा कंपनी अकासा एयर ने संचालन शुरू करने के मात्र 42 महीनों (साढ़े तीन साल) से थोड़े अधिक समय में 2.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा देने की उपलब्धि हासिल कर ली है.

अकासा ने बुधवार को बताया कि वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली सबसे तेज भारतीय एयरलाइन बन गयी है. एयरलाइन ने

अगस्त 2022 में पहली उड़ान भरी थी और लगातार उद्योग में उच्च पैसेंजर लोड फैक्टर दर्ज किया है. यह मांग की मजबूती, नेटवर्क की दक्षता और अकासा अनुभव के प्रति बढ़ती ग्राहक पसंद को दर्शाता है. इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए अकासा एयर के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दूबे ने कहा, केवल साढ़े तीन साल में 2.5 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार करना हमारे लिए गर्व का विषय है.

हमने इसे विश्वसनीयता और ग्राहक अनुभव का विशेष ध्यान रखते हुए हासिल किया है जो इसे और भी खास बनाता है. शुरुआत से ही हमारा लक्ष्य एक ऐसी एयरलाइन बनाना रहा है जो मजबूत आधार के साथ जिम्मेदारी से आगे बढ़े.

हम इस दशक के अंत तक दुनिया की शीर्ष 30 एयरलाइनों में शामिल होने के लक्ष्य पर दृढ़ता से काम कर रहे हैं. अकासा एयर के बेड़े में फिलहाल 35 विमान हैं. एयरलाइन ने 226 बोइंग-737 मैक्स विमानों का पक्का ऑर्डर दिया है, जिनमें से अगले छह साल में 191 विमानों की डिलीवरी होनी है.

1,205 अंक चढ़ा सेंसेक्स

394 अंक ऊपर आया निफ्टी

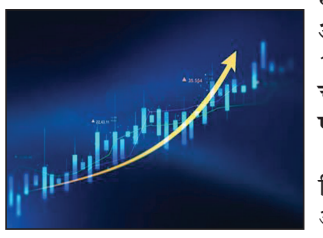

शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी

मुंबई, 25 मार्च. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 1,205 अंक (1.63 प्रतिशत) चढ़कर 75,273.45 अंक पर पहुंच गया.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 394.05 अंक यानी 1.72 प्रतिशत ऊपर 23,306.45 अंक पर बंद हुआ. पिछले कारोबारी दिवस पर भी दोनों प्रमुख सूचकांक 1.8 प्रतिशत के आसपास चढ़े थे.

पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध को लेकर शांति वार्ता की उम्मीद में शेयर बाजारों में तेजी लौटी है. मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने ज्यादा विश्वास दिखाया. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 2.07 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.59 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, ऑटो, वित्त, बैंकिंग, धातु, फार्मा, रियलटी, स्वास्थ्य और रसायन समूहों के सूचकांक दो फीसदी से अधिक चढ़े. तेल एवं गैस, मीडिया और आईटी समूहों में भी तेजी रही. सेंसेक्स की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर करीब साढ़े चार प्रतिशत की बढ़त में रहा.

भारत की जीडीपी 7.1% की दर से बढ़ेगी

नई दिल्ली, 25 मार्च. वैश्विक अनिश्चितताओं और मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है. एसएंडपी ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

यह संकेत देता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए रखेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निर्यात और निजी निवेश में सुधार भारत की आर्थिक मजबूती के प्रमुख आधार हैं. वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर सीमित रहने की संभावना जताई गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि देश की विविध अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र की मजबूती भारत को बाहरी चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है.

यही कारण है कि भारत एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. एसएंडपी ग्लोबल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए रखेगा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य आधार मजबूत घरेलू खपत (कंजम्पशन), स्थिर निर्यात और निजी निवेश में धीरे-धीरे हो रही वृद्धि है. इन कारकों की वजह से भारत वैश्विक चुनौतियों, जैसे भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद संतुलन बनाए रखने में सक्षम है. एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के संदर्भ में भी रिपोर्ट में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है. चीन को छोड़कर इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि 2026 में 4.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें भारत का अहम योगदान रहेगा. वहीं, चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो अपेक्षाकृत धीमी गति को दर्शाता है. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. हालांकि, भारत की विविध आर्थिक संरचना और मजबूत सेवा क्षेत्र निर्यात इस प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं. नीतिगत स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उम्मीद जताई गई है कि वह संतुलित मौद्रिक नीति अपनाते हुए ब्याज दरों को स्थिर रखेगा. इससे आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा और महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में भारत में महंगाई दर करीब 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो एक संतुलित स्तर माना जाता है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	153410210	होम लोन	11.03.2026	6,15,580.67/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. विजय सिंह परिहार 2. विलम कुँवर

संपत्ति का पता: मकान संख्या 99, कुल क्षेत्रफल 111.52 वर्ग मीटर, सर्वे संख्या 211, पीएच नं. 35, दिशा निदेर्शानुसार ग्रामः पालनागरा, ग्राम पंचायतः बोरखेड़ी, तहसीलः आलोटे, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश- 457114 में स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा और उसका क्षेत्रफल इस प्रकार है: पूर्वः स्वयं की भूमि, पश्चिमः स्वयं की भूमि, उत्तरः स्वयं की भूमि, दक्षिणः खुला मैदान और सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांक: 26.03.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059।

कब्जा नोटिस (सुरक्षा हित के नियम 8(2) के अनुसार (प्रवर्तन) नियम, 2002)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किए। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित तिथियों को। ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि	संपत्ति का विवरण और कब्जे की तिथि	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.)
1. जगदीश चंदेल, 2. माया बाई, पताः खसरा संख्या 822, पीएच नं. 49/86, मकान संख्या 180, ग्राम मुरड़का, तहसील बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश 454001। ऋण खाता संख्या 0000012946-C (PR01454613), मांग नोटिस की तिथिः 23 दिसंबर 2025।	खसरा संख्या 822, पीएच नं. 49/86, मकान संख्या 180, ग्राम मुराडका, तहसील बदनवार, जिला धार, मध्य प्रदेश 454001 1600 वर्ग फुट का भूखंड। सीमाएँः पूर्वः गणपत पटेल का मकान, पश्चिमः आम सड़क, उत्तरः रामेश्वर परमार का भूखंड, दक्षिणः सालग्राम। प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 24 मार्च 2026	रू. 11,79,211/- (ग्यारह लाख उन्यासी हजार दो सौ ग्यारह मात्र) 9 दिसंबर 2025 तक साथ ही 10 दिसंबर 2025 से अब तक का ब्याज भी शामिल है।
1. विजय जैन, 2. जानकी लाल, 3. दीपिका जैन, 4. विपिन जैन. पता हैः म.नं. 45, वार्ड नं. 2, मुख मार्ग, बड़ायला माता जी, बड़ायला माता, रतलाम, पिपलोदा, म.प्र. पिन 457331, और इसके अलावा, 1a. विजय जैन ख.नं. 105/1/12, पी.एच. क्र. 47, ग्राम गुर्जर बारिया, तहसील एवं जिला मंदसौर (मप्र) सीएम राइज स्कूल के पास, गुर्जर बड़िया, मंदसौर, म.प्र. 458895। ऋण खाता संख्या 0000105586-C (PRX01633394) एवं SBFCLAP0000158528 (PR01728714) और SBFCLAP0000184040 (PR01758113), डिमांड नोटिस की तारीखः 23 दिसंबर 2025	वह संपत्ति जो खसरा संख्या 105/1/12, पी.एच. संख्या 47, ग्राम गुर्जर बरिया, तहसील और जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश), सीएम राइज स्कूल गुर्जर बडिया के पास, मंदसौर, मध्य प्रदेश, पिन 458895 पर स्थित है। उपाहित संपत्ति की सीमाः पूर्व की ओरः विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम की ओरः सड़क, उत्तर की ओरः अंबालाल गुर्जर की भूमि, दक्षिण की ओरः दिनेश सोमानी और बागदीराम का प्लॉट। प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 24 मार्च, 2026	रू. 24,69,745/- (चौबीस लाख उनत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) 9 दिसंबर 2025 तक साथ ही 10 दिसंबर 2025 से अब तक का ब्याज भी शामिल है।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः धार/मंदसौर/मध्य प्रदेश, दिनांकः 26.03.2026
एसडी/- अधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 1. श्रीमती शोभा पति स्व. श्री केवल प्रसाद यादव, 2. श्री विनय पिता स्व. श्री केवल प्रसाद यादव, 3. अर्चना पिता स्व. श्री केवल प्रसाद यादव, 4. श्रीमती रश्मी पति गोविन्द वर्मा (पिता स्व. श्री केवल प्रसाद यादव) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति म्यु. पा. नंबर 8 स्टूट नंबर 1(8/1), सदर बाजार इंदौर पर स्थित है। मुलतः सदर संपत्ति श्री केवल यादव पिता स्व. श्री शिवदर्शन यादव के द्वारा क्रय कर प्राप्त की गई थी। तत्पश्चात उनका स्वर्गवास होकर उक्त संपत्ति उपरोक्त स्वामियों को उनके वारिस नाते प्राप्त हुई है। सदर संपत्ति को उपरोक्त स्वामी द्वारा मेरी पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, अतः सदर सम्पत्ति बाबद एवं वारिस बाबद किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभाग आदि को एवं वारीस बाबद किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उजर हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिवस की अवधि में मय लेखी दस्तावेजो प्रमाण हमें सूचित करें अन्यथा बाद मियाद कोई भी आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी।

आर. सी. बडजात्या, हाईकोर्ट ऐडवोकेट
फ्लैट न 1 स्टेट बैंक अभिलाषा सोसायटी, 23/2 मनोरमागंज, इंदौर(म.प्र.)
मो. न. 9425052001

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, पाँचवीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051। पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्सोन आईटी पार्क, टावर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ। इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल सम्पत्तियां ("सुरक्षित आस्तियां") जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद एसएमएचएफसी कहा जाएगा) ("सुरक्षित ऋणदाता") के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, **"जहां है जैसा है", "जो है जैस